तमिलनाडु के दंपति समेत सात लोगों पर मोहनलालगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर

धर्मांतरण के आरोप पर भरोसवा गांव में बवाल, सात लोग हिरासत में लिए

हंगामा

मोहनलालगंज, संवाददाता। मोहनलालगंज के भरोसवा गांव में कथित धर्मांतरण कराने के प्रयास पर बुधवार रात खूब हंगामा चला। ग्रामीणों ने धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए बोलेरो सवार लोगों को रोक लिया। ग्रामीणों ने मोहनलालगंज पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो कब्जे में लेकर सात लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस आरोपितों के पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है।

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि तमिलनाडु से आए एक दंपति पिछले कई साल से गांव में लोगों को कई तरह के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे हैं। आरोप है कि गांव के कुछ परिवार भी इस नेटवर्क से जुड़कर अन्य लोगों को चमत्कार और आर्थिक मदद का लालच देकर धर्मांतरण के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। बुधवार रात बोलेरो से पहुंचे कुछ लोगों पर ग्रामीणों ने धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया।

विरोध पर शुरू हुआ हंगामा : विरोध करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी और हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने वाहन रोककर यूपी 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई। एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने की शिकायत पर सात लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ग्रामीण अमित कुमार की तहरीर पर हरिकेशगढ़ी निवासी डेनियल, उसकी पत्नी सबला, भरोसवा निवासी चंद्रभान, उसकी पत्नी आरती, सीमा, अजय रावत और उसकी पत्नी शीला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मोहनलालगंज के भरोसवा गांव में धर्मांतरण करने वालों की कार रोके ग्रामीणों को समझाते पुलिसकर्मी।

स्कूलों को लेकर भी लगाए आरोप

कुछ हिंदू संगठनों ने विशेष समुदाय से जुड़े कुछ निजी स्कूलों पर भी धार्मिक प्रभाव डालने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में अभिभावकों ने पहले भी आपत्ति जताई है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित स्कूलों का पक्ष भी सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संतान सुख व आर्थिक मदद का प्रलोभन

ग्रामीणों का आरोप है कि कथित धर्मांतरण नेटवर्क में शामिल सदस्य गरीब, जरूरतमंद और परिवारों को संतान सुख, मनत्कार और आर्थिक सहायता का लालच देकर अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। गांव के आधा दर्जन से अधिक परिवार इस नेटवर्क के संपर्क में आ चुके हैं।

जीवनशैली पर उठे सवाल

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कथित धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़ने के बाद गांव के दो परिवारों की आर्थिक स्थिति में अचानक काफी बदलाव आ गया है। इन्हीं उदाहरणों का हवाला देकर अन्य करीब 50 लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

15 साल से सक्रिय होने का दावा

श्रीराम सनातन सेवा संगठन के अध्यक्ष विमलेश शर्मा ने आरोप लगाया कि मोहनलालगंज, निगोहा और नगराम इलाके में पिछले कई साल से धर्मांतरण कराने वाले गिरोह सक्रिय हैं। स्थानीय स्तर पर पुलिस या प्रशासन स्तर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से नेटवर्क सक्रिय है।

कोर्ट परिसर में वकील की ड्रेस पहने लोगों ने भाइयों को पीटा

- जमीन के विवाद में चल रहे मुकदमे की पैरवी में गए थे दोनों भाई
- दोनों भाइयों की तहरीर पर नामजद और 50 अज्ञात पर मुकदमा

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। जमीन के मुकदमें की पैरवी में कचहरी गए दो भाइयों पर कोर्ट परिसर में अधिवक्ता के वेश में पहुंचे लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने हाल में खींचकर गए। लात-घूसों से जमकर पीटा। गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। असलहा तान दिया। इस मामले में पीड़ित भाइयों की तहरीर पर वजीरगंज पुलिस ने सौरभ वर्मा समेत चार नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश त्रिपाठी के मुताबिक पीड़ित शाकिर तालाब गगनी शुक्ला का रहने वाला है। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि वर्ष 1990 में उनके पिता ने कुर्सी रोड पर कल्याणपुर में जमीन खरीदी थी। जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुर्रमनगर के रहने वाले रियाजुद्दीन ने सौरभ वर्मा को बेच दी थी। सौरभ खुद को अधिवक्ता बताते हैं। जानकारी होने पर विरोध किया तो सौरभ और उनके साथियों ने जान से मारने की धमकी दी। शाकिर के मुताबिक उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में वाद दायर किया था। बुधवार को तारीख होने पर भाई आसिफ और आदिल के साथ कचहरी गए थे। वहां सौरभ, हर्षित पांडेय, यश पांडेय और अभय प्रताप वर्मा समेत 40-50 अन्य लोगों ने घेर लिया। अधिकतर लोग अधिवक्ता की ड्रेस में थे। गाली-गलौज करने लगे। हमला बोल दिया। सेंट्रल बार एसोसिएशन के कक्ष में खींचकर ले गए। बंधक बना लिया। सौरभ ने गला कसकर मारने की कोशिश की। असलहा तान दिया। किसी तरह हम भाग निकले और रात्रि बचाई। शाकिर की तहरीर पर पुलिस ने सौरभ समेत चार नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, दूसरा मुकदमा आसिफ की ओर से दर्ज किया गया है।

हमारे एथलीट्स को कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार सफलता के लिए शुभकामनाएँ!

शहर 30s

मोबाइल शॉप से 14 लाख का माल उड़ाया

काकोरी। काकोरी के बहरु रोड पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक एवं मोबाइल शॉप में नकाबपोश चोरों ने शटर तोड़कर करीब 14 लाख रुपये का सामान उड़ा लिया। पूरी वारदात दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। टिकरिया गांव निवासी विश्वजीत यादव की बहरु रोड पर मोबाइल की दुकान है। विश्वजीत ने बताया कि बुधवार रात करीब 12 बजे अज्ञात बदमाशों ने दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरों को डंडे से तोड़ दिया। इसके बाद रात सवा तीन बजे एक नकाबपोश युवक शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुसा।

टेंट व्यापारी का कमरे में लटका मिला शव

सरोजनी नगर। शिव गुलाब खेड़ा गांव में 20 वर्षीय टेंट व्यापारी शिवा राजपूत का शव घर के कमरे में पंखे के हुक से लटका मिला। दरवाजा न खुलने पर ग्रामीणों ने दीवार तोड़कर शव निकाला। पुलिस ने संदिग्ध हालात में हुई मौत की जांच शुरू कर दी है।

न्यायालय अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी)/ किराया प्राधिकारी, लखनऊ

संख्या- 41/ रेंट/ एपीएच(वीडी)/ 2025 दिनांक- 16.12.2025
वाद संख्या-डी-20251046000129३
धारा-21(2) उ0प्र0 नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021
अबू सलीम आदि बनाम मूरूज्जमा
नियत तिथि-21.08.2026
प्रकाशन हेतु नोटिस

फ्लैट नं0-9, 600 वर्ग फीट का हसनैन मार्केट, प्रथम तल पर स्थित, नगरपालिका नं0-292/275 (077), तुलसी दास मार्ग, मोहल्ला, वार्ड अशरफाबाद (मवारी गंज), लखनऊ (उ0प्र0) के सम्बन्ध में उ0 धारा-21(2) उ0प्र0 नगरीय परिसर किरायेदारी अधिनियम संख्या-16 वर्ष 2021 के अन्तर्गत इस न्यायालय में उपरोक्त वाद विचाराधीन है। उक्त वाद में विवादी / किरायेदारी प्रान्त् रस्तोगी पुत्र कमल किशोर निवासी गिरधर गोपाल गली, निकट मायका शिवाला, अशरफाबाद, लखनऊ (उ0प्र0) पर नियमानुसार नोटिस तामीला न होने के कारण प्रकाशन कराया जाना है।
अतः विवादी / मकान स्वामीगण को सूचित किया जाता है कि यदि कुछ कहना है, तो नियत तिथि दिनांक 21.08.2026 को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय / कमरा नम्बर-47, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में उपस्थित होकर कह सकता है।

(एम0 पी0 सिंह)
अपर जिलाधिकारी, नगर (पूर्वी)/किराया प्राधिकारी, लखनऊ।

सातवें माले से गिरकर चार श्रमिक घायल

हादसा

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। महानगर के विज्ञानपुरी मोहल्ले में निर्माणाधीन 16 मंजिला एक अपार्टमेंट में गुरुवार दोपहर पाइट्रूटने से चार मजदूर सातवें तल से नीचे गिर गए। निर्माण क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक का पैर टूट गया जबकि दो और मजदूरों की हालत नाजुक है। चौथे की चोट सामान्य है। नामचीन बिल्डर के अपार्टमेंट में हुए हादसे की सूचना पर पुलिस, प्रशासन और एलडीए के आला अफसर मौके पर पहुंचे।

एसीपी महानगर अंकित कुमार के मुताबिक घायल मजदूरों में बिहार के समस्तीपुर निवासी छोटू कुमार (28), सुरेन्द्र कुमार (45), निक्कू (24) और मोनू (25) हैं। चारों विज्ञानपुरी में निर्माणाधीन अपार्टमेंट के सातवें तल पर प्लास्टर कर रहे थे। मजदूरों ने लोहे के पाइप की पाड़ बना रखी थी। पाइप निर्माण में खंभे और शटरिंग से बंधे थे। उसी पर वे खड़े थे। इस बीच पाइट्रूट गई। चारों मजदूर नीचे गिर गए। गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों मजदूरों को आनन फानन निकाला। उन्हें क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया।

16 मंजिला अपार्टमेंट बन रहा महानगर के विज्ञानपुरी में

02 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती हैं बिहार के सभी श्रमिक

अस्पताल में भर्ती घायल श्रमिक।

मामले की जांच जारी

घटना की जानकारी पर महानगर पुलिस, जिला प्रशासन और एलडीए के अफसर मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया और वले गए। एसीपी ने बताया कि अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। जांच की जा रही है।

व्यवस्थाधिकारी छिपाते रहे हादसा, बनाया रहस्य

हादसे की सूचना पर मौजियाकर्मी मौके पर पहुंचे। अपार्टमेंट के व्यवस्थाधिकारियों व कर्मियों ने आनन फानन गेट बंद दिया। किसी को मौके तक जाने नहीं दिया। पूछने पर भी कोई उत्तर देने से इंकार कर दिया। हादसे को रहस्यमय बनाए रहे। वहीं हादसे में कई अन्य के मलबे में दबे होने की सूचना पर हजरतगंज फायर स्टेशन से रेस्क्यू टेंडर के साथ कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। करीब आधे घंटे तक पहताल की हालांकि किसी के दबे होने की पुष्टि न होने पर दमकल कर्मी वले गए।

मास्टरमाइंड को पांच दिन की पुलिस रिमांड

लखनऊ। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेशों से वित्तीय लेनदेन करने के आरोपी केरला राज्य के मलापुरम जिले के रहने वाले समीर बाबू टीपी को एनआईए कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। यह आदेश एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने जारी किया। अदालत ने कहा है कि पुलिस रिमांड अवधि 24 जुलाई को सुबह 10:00 बजे से प्रारंभ होकर 28 जुलाई को सायं 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। एनआईए की ओर से गिरफ्त अर्जी के माध्यम से अदालत से कहा गया कि आरोपी को गत 21 जून को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त को रिमांड पर लेकर उसके अन्य साथियों की पहचान, बैंक खातों में हुए लेनदेन के संबंध में पूछताछ की जाने है।

डॉक्टर ने शराब ठेके के बाहर की फायरिंग

काकोरी, संवाददाता। काकोरी में बुधवार रात को नशे में धुत डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह (डॉटल) ने नरौना शराब ठेके के बाहर दोस्त की लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग की। फायरिंग होते ही वहां हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान डॉक्टर काफी नशे में था। आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है।

रिवॉल्वर कब्जे में ले ली गई है। डॉक्टर के साथ मौजूद दो दोस्त फरार हो गए। आरोपी दोस्तों की तलाश काकोरी पुलिस कर रही है। काकोरी इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि आईआईएम रोड के मुबारकपुर निवासी डॉ. अभिषेक प्रताप सदर कैंटोमेंट के एक सरकारी अस्पताल में संविदा पर डॉक्टर हैं।

खूनी संघर्ष में दो को उम्रकैद, छह को तीन साल की सजा

लखनऊ। गोसाईगंज इलाके में दो पांच वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के मामले में एक पक्ष शिव प्रकाश व शिवकरन को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह आदेश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण के विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने दिया। इसके साथ ही प्रत्येक को 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने दूसरे पक्ष के राम आसरे, ताराचंद, हंसा उर्फ हंसराज, नान्हू, सरवन एवं मनोहर को इसी अदालत ने गंभीर चोटें पहुंचने के आरोप में प्रत्येक को 3 वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील विकास सिंह ने बताया कि हत्या की घटना की रिपोर्ट वादी ताराचंद द्वारा 15 अगस्त 2021 को गोसाईगंज थाने में दर्ज कराई गई थी।

अपहरण के बाद कैब चालक का काटा गला फिर चाकू से गोदा था

लखनऊ। अयोध्या रोड पर दो माह पूर्व रोडरेज के बाद कैब चालक मो. गुलफाम का अपहरण कर हत्यारों ने नहर किनारे चाकू से पहले उसका गला काटा फिर गोद डाला। इसके बाद शव बाराबंकी के मानी इलाके में किसानपथ किनारे फेंका था। बुधवार को पुलिस ने मौके से कंकाल बरामद किया था। चिनहट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज अपहरण के मुकदमें में हत्या की भी धारा बढ़ा दी गई है।

इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक गुलफाम सुल्तानपुर के ज्ञानीपुर शिवगढ़ के रहने वाले थे। 22 मई को गोरखपुर से लखनऊ आटिगा कार से आया था। यहां बाराबंकी बार्डर पर सीएनजी पंप पर गाड़ी आगे बढ़ाने को लेकर साहिल और उसके साथियों से गुलफाम का विवाद हो गया था।

न्यायालय अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी)/ किराया प्राधिकारी, लखनऊ

संख्या- 42/ रेंट/ एपीएच(वीडी)/ 2025 दिनांक- 16.12.2025
वाद संख्या-डी-20251046000128३
धारा-21(2) उ0प्र0 नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021
अबू सलीम आदि बनाम प्रान्त् रस्तोगी
नियत तिथि-21.08.2026
प्रकाशन हेतु नोटिस

दुकान नं0-17, हसनैन मार्केट के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित, नगरपालिका नं0-292/275 (077), तुलसी दास मार्ग, मोहल्ला, वार्ड अशरफाबाद (मवारी गंज), लखनऊ (उ0प्र0) के सम्बन्ध में उ0 धारा-21 (2) उ0प्र0 नगरीय परिसर किरायेदारी अधिनियम संख्या-16 वर्ष 2021 के अन्तर्गत इस न्यायालय में उपरोक्त वाद विचाराधीन है। उक्त वाद में विवादी / किरायेदारी प्रान्त् रस्तोगी पुत्र कमल किशोर निवासी गिरधर गोपाल गली, निकट मायका शिवाला, अशरफाबाद, लखनऊ (उ0प्र0) पर नियमानुसार नोटिस तामीला न होने के कारण प्रकाशन कराया जाना है।
अतः विवादी / मकान स्वामीगण को सूचित किया जाता है कि यदि कुछ कहना है, तो नियत तिथि दिनांक 21.08.2026 को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय / कमरा नम्बर-47, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में उपस्थित होकर कह सकता है।

(एम0 पी0 सिंह)
अपर जिलाधिकारी, नगर (पूर्वी)/किराया प्राधिकारी, लखनऊ।

कार्यालय अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम), लखनऊ

पत्रांक: 45/ए0सी0एम0-5 (सरफेसी)/2026 दिनांक: 04.07.2026
श्रीमती सुमन मिश्रा पत्नी श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा, पता 521/62, किमिया टोला, बडा चांदगंज, अलीगंज, लखनऊ।

नोटिस

न्यायालय अपर जिलाधिकारी, (न्यायिक), लखनऊ के वाद संख्या-2177 वर्ष 2025 अन्तर्गत धारा-14 विधिक आश्रितों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति प्रवर्तन अधिनियम 2002, नैनीताल बैंक बनाम सुमन मिश्रा आदि में पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 जिसमें बैंक के पक्ष रखी गयी सम्पति फ्लैट नं0 प्रथम तल मकान नं0 521/62/3, खसरा नं0 631, स्थित शेखपुर, वार्ड अलीगंज, लखनऊ (क्षेत्रफल 83.643 वर्गमीटर चौहदी पूरब-25 फीट रोड, पश्चिम-मकान जफर, उत्तर-मकान योगेन्द्र नरायन जौहरी, दक्षिण-मकान डॉ. मुखर्जी व उसमें लगे हुए सामान) का कब्जा उक्त बैंक को हस्तगत कराने हेतु अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम), लखनऊ व सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज, लखनऊ को नियत किये गये है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त सम्पत्ति को 15 दिवस के अन्दर सामान सहित खाली कर दे अन्यथा दिनांक 10.08.2026 को अथवा उसके पश्चात पुलिस बल की सहायता से बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय उक्त सम्पति का कब्जा बैंक को हस्तगत करा दिया जावेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा एवं कब्जा हस्तान्तरण में होने वाला सम्पूर्ण व्यय आपसे नियमानुसार वसूल किया जावेगा।
यदि आप द्वारा उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अनुतोष प्राप्त किया गया हो तो नियत तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर अवगत कराना सुनिश्चित करे।

(अनामिका गौर्या)
अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम), लखनऊ।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (टी0जी0) / अपर कलेक्टर, लखनऊ

संख्या-84/रीडर-टी0जी0/2026 दिनांक: 21/06/2026
वाद सं0 डी 202610460000493
केनरा बैंक बनाम मेसर्स आर्गेनो टेक्नोलाजिज प्राल्लि0
अंधारा 14, सरफेसी एक्ट
थाना सरोजनीनगर

नोटिस

(1) मेसर्स आर्गेनो टेक्नोलाजिज प्राल्लि0 पंजीकृत पता ए-2 कृष्ण लोक कॉलोनी, कानपुर रोड, सरोजनीनगर, इण्डस्ट्रियल एरिया लखनऊ।
(2) श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र श्री राज नरायन श्रीवास्तव (विधिक उत्तराधिकारी स्व0 श्रीमती रीमा श्रीवास्तव) पता ए2-फेस-1 कृष्ण लोक, ओराया, औरवान, लखनऊ व ए-2 कृष्ण लोक कालोनी, कानपुर रोड, सरोजनीनगर, इण्डस्ट्रियल एरिया लखनऊ व रोड सं0 एस-18, प्लाट सं0 एस-18 स्थित इण्डस्ट्रियल एरिया, गेहरू, तहसील लखनऊ।
(3) श्री रक्षित श्रीवास्तव पुत्र श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव (विधिक उत्तराधिकारी स्व0 श्रीमती रीमा श्रीवास्तव) पता के - 1117, कानपुर रोड, सेक्टर-के आशियाना, एलडीए कालोनी, लखनऊ व ए2 फेस-2, कृष्ण लोक, पी - 1, कानपुर रोड, लखनऊ
(4) सुश्री अधीजा श्रीवास्तव पुत्री श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव (विधिक उत्तराधिकारी स्व0 श्रीमती रीमा श्रीवास्तव) पता के - 1117, कानपुर रोड, सेक्टर के आशियाना, एलडीए कालोनी, लखनऊ व ए2 फेस-2, कृष्ण लोक, कालोनी कानपुर रोड सरोजनीनगर, इण्डस्ट्रियल एरिया लखनऊ।
(5) विधिक उत्तराधिकारी स्व0 श्रीमती रीमा श्रीवास्तव पता ए-2 कृष्ण लोक, पी-1 कानपुर रोड, लखनऊ व रोड सं0 एस -18, प्लाट सं0 एस-18 स्थित इण्डस्ट्रियल एरिया, गेहरू तहसील लखनऊ।

आपके द्वारा केनरा बैंक से ऋण लिया गया था। ऋण की अदायगी न होने के कारण वादी केनरा बैंक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में ऋण की वसूली / सम्पति का कब्जा हेतु धारा-14 सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत वाद अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में योजित किया गया है।
प्रश्नगत वाद की सुनवाई अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जा रही है अतः आप दिनांक 29.07.2026 को समय 12:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय कक्ष सं0 2, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आप नियत समय/दिनांक पर उपस्थित नहीं होते है तो पत्रावली पर एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किए जा सकते है।

(राजकुमार मित्तल)
अपर जिला मजिस्ट्रेट, टीजी/
अपर कलेक्टर, लखनऊ

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (टी.जी.)/अपर कलेक्टर, लखनऊ

संख्या 86/ रीडर-टी.जी./ 2026
दिनांक-21.07.2026
वाद संख्या डी-20261046000146
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लि.
बनाम
लक्ष्मी सोनी
अं.धारा 14, सरफेसी एक्ट

।। नोटिस ।।

श्रीमती लक्ष्मी सोनी पत्नी श्री भरतलाल वर्मा व भरतलाल वर्मा पुत्र स्व. राम लखन वर्मा, निवासीनी 448/119/19 डी, कल्याणपुरी, ठाकुरगंज, लखनऊ, म.नं. 328, 13, बरहमनी टोला, पुरानी सब्जी मंडी, चौक रोड, लखनऊ व म.नं. 321, 188, बहोरन टोल चौक, लखनऊ।
आपके द्वारा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लि., से ऋण लिया गया था। ऋण की अदायगी न होने के कारण वादी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लि., द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में ऋण की वसूली / संपत्ति का कब्जा हेतु धारा-14 सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत वाद अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में योजित किया गया है।
प्रश्नगत वाद की सुनवाई अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जा रही है अतः आप दिनांक 10.08.2026 समय 12:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय कक्ष सं 2, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। आप नियत समय/दिनांक पर उपस्थित नहीं होते है तो पत्रावली पर एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किए जा सकते है।

(राजकुमार मित्तल)
अपर जिला मजिस्ट्रेट, टीजी/
अपर कलेक्टर, लखनऊ

बैंक ऑफ इण्डिया BOI Bank of India
आंचलिक कार्यालयः "स्टार हाऊस" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, फोन: 0522-2721512

ई-नीलामी सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना नियम 8(6) के तहत

यह ई-नीलामी बिक्री सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अधीन बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए है। इस नोटिस के माध्यम से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (कर्ताओं) और जमानतकर्ता (कर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि बैंक मे बंधक अचल सम्पत्तियों जिनका विवरण नीचे दिया गया है तथा जिनका सांकेतिक/भौतिक कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा गया है को 'जैसा है', 'जो है', 'जैसा है' तथा 'जो कुछ भी है, के आधार पर विक्रय की जायेगी।

ईमदी / दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 24.08.2026 को सायं 05:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि एवं समय 25.08.2026, प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

क्र. सं.	खातेदार/जमानतकर्ता का नाम एवं पता/बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण एवं कब्जा की स्थिति	निर्धारित आरक्षित मूल्य/ अंतिम बकाशी (₹)
शाखाः आस्ति वसूली शाखा, वरिष्ठ प्रबन्धक, अमित कुमार यादव, मोः 9415389015			
1.	1. अबोन बेवरेजेज प्रा. लि. (ऋणी), फ्लैट नं. बी-4, औद्योगिक क्षेत्र उतलेवा, जगदीशपुर, अमेठी, उ.प्र. 227405 2. श्री खुर्शीद अजीज (निदेशक एवं बंधककर्ता), अबोन बेवरेजेज प्रा. लि. फ्लैट नं. बी-4, औद्योगिक क्षेत्र, उतलेवा, जगदीशपुर, अमेठी, उ.प्र 227405 3. श्रीमती अफरोज बानो (निदेशक एवं बंधककर्ता), अबोन बेवरेजेज प्रा. लि. फ्लैट नं. बी-4, औद्योगिक क्षेत्र, उतलेवा, जगदीशपुर, अमेठी, उ.प्र. 227405 4. श्री खुर्शीद अजीज (जमानतकर्ता) पुत्र श्री अजीज अहमद खान, 105, ग्राम-नियायां करमरोर, जाफरगंज, जगदीशपुर, अमेठी, उ.प्र. 227809 5. श्रीमती अफरोज बानो (जमानतकर्ता) पत्नी श्री खुर्शीद अजीज, 105, ग्राम-नियायां करमरोर, जाफरगंज, जगदीशपुर, अमेठी, उ.प्र. 227809 मांग सूचना की तिथि: 01.11.2025, बकाया धनराशिः ₹3,15,28,957.33 +ब्याज एवं अन्य खर्च	1) सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्सों का सामिक बंधक लीजहोल्ड भूमि स्थित फ्लैट नं. बी-4, औद्योगिक क्षेत्र उतलेवा, ग्राम-उतलेवा, जगदीशपुर, परगना एवं तहसील-मुसाफिरखाना, जिला-अमेठी, मेसर्स अबोन बेवरेजेज प्रा. लि. के नाम है, निदेशकों के माध्यम से, मालिक-मेसर्स अबोन बेवरेजेज प्रा. लि., क्षेत्रफल- 450.00 वर्ग मीटर। चौहद्दी-पूर्व- फ्लैट नं. बी-5, पश्चिम- फ्लैट नं. बी-3, उत्तर- फ्लैट नं. बी-23, दक्षिण- 12 मीटर चौड़ी सड़क	₹ 1,01,00,000/- ₹ 10,10,000/-
		2) मिनरल वॉटर की प्रोसेसिंग/पैकिंग जिसमें पानी भरने के लिए प्लास्टिक की बोतलें बनाना भी शामिल है) के लिए प्लांट और मशीनरी का दृष्टिबंधक प्रोसेसिंग/पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, तैयार माल और वेस्ट प्रोडक्ट्स का दृष्टिबंधक (कब्जा-सांकेतिक)	₹ 1,41,50,000/- ₹ 14,15,000/-

नियम एवं शर्तें: बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर के वेब पोर्टल पर दिए गए लिंक को देखें i.e.https://www.bankofindia.bank.in, https://baanknet.com अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित एजीएम/मुख्य प्रबंधक / शाखा प्रबंधक को ऊपर दी गई शाखाओं व उनके फोन नम्बर पर सम्पर्क करें। नोट-न्यूनतम स्वीकार्य बोली आरक्षित मूल्य (आरपी) से रू. 10,000/- उपर होगी।
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

दिनांकः 17.07.2026 स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया

बैंक ऑफ इण्डिया BOI Bank of India
आंचलिक कार्यालयः "स्टार हाऊस" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, फोन: 0522-2721512

ई-नीलामी सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना नियम 9 (1) के तहत

यह ई-नीलामी बिक्री सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के अधीन बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए है। इस नोटिस के माध्यम से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (कर्ताओं) और जमानतकर्ता (कर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि बैंक मे बंधक अचल सम्पत्तियों जिनका विवरण नीचे दिया गया है तथा जिनका सांकेतिक/भौतिक कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा गया है को 'जैसा है', 'जो है', 'जैसा है' तथा 'जो कुछ भी है, के आधार पर विक्रय की जायेगी।

ईमदी / दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 10.08.2026 को सायं 05:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि एवं समय 11.08.2026, प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

क्र. सं.	खातेदार/जमानतकर्ता का नाम एवं पता/बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण एवं कब्जा की स्थिति	निर्धारित आरक्षित मूल्य/ अंतिम बकाशी (₹)
शाखाः आस्ति वसूली शाखा, वरिष्ठ प्रबन्धक, अमित कुमार यादव, मोः 9415389015			
1.	1. श्री राजीव जैन, पता:1. जी 4, डिम्पी गॉस 334, ज्ञान खंड 1, इंदिरापुरम गाजियाबाद-201014. 2. फ्लैट नंबर 910 टावर ए, बीसीसी ग्रीन्स, नौबस्ता कलां गांव, देवा रोड, लखनऊ 3 फ्लैट नंबर 911 टावर ए, बीस